न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 41/2019 जिला सीकर ।

आम जनता(ग्रामवासी) मुण्डरू जरिये

1. त्रिलोक सिंह पुत्र पदम सिंह
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
3. गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
4. पदम सिंह पुत्र मोहन सिंह
   जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. रामगोपाल सोनी पुत्र अमरचन्द जाति सोनी (सुनार) निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राजस्थान)।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. मूर्ति मुन्दिर श्री नृसिंह जी जरिये पुजारी महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र मन्नाराम जाति ब्राहमण निवासी मुण्डरू तह0 श्रीमाधोपुर (सीकर)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 30.03.2017 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 राजकीय अधिवक्ता।
3. वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 श्री रामचन्द्र देगडा।

निर्णय

दिनांक–08.02.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.09.2019 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 130/राजस्व दिनाक 17.01.2017 के द्वारा ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1671 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619–44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं 4328–53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम फुटाला के खसरा नम्बर 1671 रकबा 5.50 है0 में से 0.2250 है0 भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खाजेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
2. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1671 मंदिर नृसिंह जी की खातेदारी की भूमि है तथा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने बहुत ही हास्यापद निर्णय पारित किया है कि रास्ते की भूमि खातेदारी के खाते में ही रहेगी जबकि रास्ते की भूमि सदैव राजकीय भूमि ही मानी जाती है। अपीलांटस् ग्रामवासी मुण्डरू ग्राम के निवासी है तथा दर्शनार्थी भी है। ग्राम फुटाला में उक्त 45 फुट के करीब रास्ता चालू कराने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की जो भी उक्त कार्यवाही की गयी है वह केवल मात्र दो–तीन निजी खातेदारो को सुविधा प्रदान करने की गरज से की गई है। उक्त आदेश केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 1704 स्थित ग्राम फुटाला के खातेदारान को सुविधा प्रदान करने की गरज से की गई है। उक्त आदेश केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 1704 स्थित ग्राम फुटाला (मुण्डरू) के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल, कमली देवी पत्नि चौथूराम एवं सीतादेवी पत्नि कालूराम को उनकी भूमि पर से आने जाने, वाहन आदि लाने की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई है तथा उक्त समस्त कार्यवाही बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही मंदिर के पुजारी से मिलीभगत के आधार पर की गयी है। उनका कथन है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व भू–राजस्व अधिनियम की धार 131, 132 व राज0 लैण्ड हरकार्ड रूल्य के नियम 58, 59, 60 एवं 86 को पढने तक का कष्ट नही किया एवं कानून के विपरीत आज्ञा जैर अपील पारित की है। उक्त समस्त कार्यवाही भू माफिया लोगो द्वारा विवादग्रत भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु विकसित कराने के उददेश्य से करायी गयी है, प्रार्थीगण अपीलांटस् द्वारा अपील के साथ विकय इकरारनामे दिनांक 22.03.2014 की प्रति भी संलग्न की जा रही है जिसमें खसरा नम्बर 1671 में उक्त 45 फुट चौडे रास्ते का भी उल्लेख किया गया है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा रास्ता दर्ज करने की जो आज्ञा पारित की गयी है वह सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 30.3.2017 बाबत प्रकरण संख्या 87/2017 निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण पुनः विस्तृत जांच कराये जाने एवं अपीलांटस् ग्रामवासियो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके निर्णित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2017 का है लेकिन अपीलांट को जानकारी के अभाव के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 14.07.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1671 के खातेदार की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का मुण्डरू, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के ओदश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हत उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

7. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 17.01.2017 के अनुसार ग्राम फुटाला, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1671 रकबा 5.50 है0 में से 0.2250 है0 प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, मंदिर के पुजारी का सहमति बतौर इकरारनामा व ग्राम पंचायत फुटाला की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित करने से पूर्व उक्त भूमि निजी खातेदारी भूमि में दर्ज रिकार्ड होने से उक्त भूमि को गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने से पूर्व संबंधित खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner